फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

प्रीतपाल सिंह बनाम तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर ....56.. सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/...104.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
08.05.2025	प्रकरण राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थी प्रीतपाल सिंह की की ओर से दिनांक 03.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि चक 32 जीबी मु.नं. 5 कि. नं. 13/1 व 18/1 में पैट्रोल पम्प लगा हुआ है, जो वर्तमान रिकार्ड में कि.नं. 14 व कि.नं. 17 के साथ चिपता हुआ दर्शाया जा रहा है जो गलत है। पैट्रोल पम्प कि.नं. 12 के साथ चिपता है ना कि किला नं. 14,17 के साथ। इस प्रकार इसकी दिशा ही बदल दी गई है। मौके पर एवं पूर्व रिकार्ड अनुसार उक्त पैट्रोल पम्प श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा कि.नं. 13/1 व 18/1 जो कि कि.नं. 12 के साथ चिपता संपरिवर्तित किया गया था, जो कि रिकार्ड ऑन–लाईन करते वक्त त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गया है। संशोधन करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/801 दिनांक 04.03.2025 के अनुसार सेग्रीगेशन से पूर्व कि.नं. 13 व 18 की तरमीम नहीं थी। सेग्रीगेशन के समय उक्त कि.नं. में तरमीम होने के समय पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1, 18/1 की तरमीम क्रमशः कि.नं. 14, 17 के चिपती पूर्व दिशा में हो गई थी, जबकि मौके पर पैट्रोल पम्प के कि.नं. 18/1 कि.नं. 18/12 के चिपता तथा कि.नं. 13/1 कि.नं. 12 से 9 फुट उत्तर दक्षिण छोड़ते हुए स्थित है। मौका स्थिति जो कि सेग्रीगेशन से पूर्व व आज दिनांक के अनुसार पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1, 18/1 क्रमशः कि.नं. 14, 17 के चिपता न होकर पश्चिम दिशा में है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भूमि संपरिवर्तन संबंधित दस्तावेज पेश किये का अवलोकन किया। पत्रावली का परिशीलन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1 व 18/1 की तरमीम मौका स्थिति से भिन्न है। जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रा[illegible] स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीविज[illegible] जाता है कि प्रार्थी की भूमि गै.मु. पैट्रो[illegible] व कि.नं. 18/1 की 0.099है. [illegible] स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्ती की जावे। नि[illegible] की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:35:29 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

फार्म नं.– III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
गीता देवी आदि बनाम गिरधारी लाल आदि
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर.........54....सन् 2025
जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/.......103

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.05.2025	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह बुटटर ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पूर्व में केवियट दायर किये जाने के फलस्वरूप केवियटकर्ता/अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता श्री साहिब बाघला को सूचित किया गया। अधिवक्ता केवियटकर्ता/अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 आपत्ति जाहिर कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण सं. 1 से 19 के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि आगामी पेशी तक विवादित भूमि चक 2 बीएलडी ए तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 104 में दर्ज मु.नं. 9 प.नं. 189/375 की कुल 6.325है. अ.क./कमाण्ड मय खाला भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। चूंकि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की प्रार्थना पर अप्रार्थी सं. 2 के अतिरिक्त अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की जा रही है ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है : • प्रार्थी आ.39नि.3 सीपीसी की पालना करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि. एडी नोटिस तलवाना पेश करें एवं न्यायालय से तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए आगामी पेशी पर रजि. रसीदें मय ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट पेश करें। • डी.आई.एल.आर.पी.एम.पी. के कार्यों व बैंक ऋण वसूली (राको रोड़ा) प्रकरणों पर यह व्यादेश प्रभावी नहीं होगा। बैंक में ऋण राशि जमा करवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भी यह व्यादेश लागू नहीं होगा। • रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। • अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई हेतु निवेदन करने पर प्रार्थी बहस हेतु एक से अधिक अवसर नहीं चाहेगें। • उक्त शर्तों का पालन नहीं करने, अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने तथा न्यायालय का समक्ष ... जाने पर यह निषेधाज्ञा किसी भी समय ... जा सकेगी। रजि. एडी नोटिस तलवाना पेश होने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो। शकुन्तला आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

फार्म नं.– III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

दरबारा सिंह बनाम गुरदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर......49......सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/......87......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
01.05.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री साहिब बाघला ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विवादित भूमि चक 11 बीएलएम खाता सं. 67 में दर्ज मु.नं. 17 प.नं. 211/411 की कुल 6.198 है. कमाण्ड मय खाला भूमि पर आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की प्रार्थना पर एकपक्षीय पारित की जा रही है ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन जारी की जाती है : • प्रार्थी आ.39नि.3 सीपीसी की पालना करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि. एडी नोटिस तलवाना पेश करें एवं न्यायालय से तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए आगामी पेशी पर रजि. रसीदें मय ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट पेश करें। • रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। • डी.आई.एल.आर.पी.एम.पी. के कार्यो व बैंक ऋण वसूली (राको रोड़ा) प्रकरणों पर यह व्यादेश प्रभावी नहीं होगा। बैंक में ऋण राशि जमा करवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भी यह व्यादेश लागू नहीं होगा। • अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई हेतु निवेदन करने पर प्रार्थी बहस हेतु एक से अधिक अवसर नहीं चाहेगें। • उक्त शर्तो का पालन नहीं करने, अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने तथा न्यायालय का समय ... जाने पर यह निषेधाज्ञा किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। रजि. एडी नोटिस तलवाना पेश होने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। शकुन्तला आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र

Reader
11/5/25

ब–अदालत उपजिला कलेक्टर,
श्रीविजयनगर।

दरबारासिंह उम्र–70 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

–: प्रार्थी

बनाम्

1– गुरदीपसिंह उम्र–65 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

2– मोहनसिंह उम्र–63 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

3– कर्मजीतकौर उम्र–68 वर्ष पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी परमजीतसिंह जाति रामगढिया निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

4– लखवीरसिंह उम्र–35 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

5– जगसीरसिंह उम्र–33 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

6– सोनु उम्र–32 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

7– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

सेवा में
1.5.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

–2पर

दरबारासिंह

श्रीमान जी,

निवेदन है कि

1. प्रार्थना पत्र 2 रु. कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है

2. न्यायालय के प्रोबेशन एवं अवकाशिय में है रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत है

01/3/25

500 रुपये

प्रार्थी अधिवक्ता को एहपक्षीय सुना गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। केवल [illegible] मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः इसे आवश्यक की अग्रिम [illegible] की जाती है कि रिपोर्ट [illegible] [illegible] [illegible] पेशी पे अपेक्षा [illegible] करने [illegible] समझी जाये।

01/3/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार है:–

1– यह कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण का मूल वाद माननीय अदालत मे पेश किया जा चुका है जिसमें वादी के कामयाब होने की पूरी पूरी आशा है।

2– यह कि कृषि भूमि वाके चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का नया खाता सं–67 पुराना खाता सं–59 का मुरब्बा नं–17 पत्थर सं–211/411 का किला नं–1 ता 25 की 6.1980 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 व अप्रार्थीगण सं–4 ता 7 की माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह के नाम से सयुंक्त खाता मे बतौर खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र मे आयंदा वादाधीन कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्रप्रति जमबांदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

3– यह कि प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि वादाधीन कृषि भूमि पूर्व मे महेन्द्रसिंह पुत्र फुमनसिंह जाति रामगढिया निवासी चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर के नाम से दर्ज थी। महेन्द्रसिंह का दिनांक 8–1–2020 को देहांत हो चुका है। महेन्द्रसिंह के देहांत के बाद वादाधीन कृषि भूमि महेन्द्रसिंह की पत्नी सरजीतकौर, पुत्रो दरबारासिंह, गुरदीपसिंह व मोहनसिंह तथा पुत्रीयों कर्मजीतकौर व छिन्द्रपालकौर को बहिस्सा बराबर विरास्तन प्राप्त हुई। तत्पश्चात सरजीतकौर ने अपना हिस्सा अपने दोनो पुत्रो गुरदीपसिंह व मोहनसिंह के पक्ष मे बहिस्सा बराबर जरिए दस्तबरदारी दिनांक 27–2–2025 को हक त्याग कर दिया। जिसका नामातंरण राजस्व रिकार्ड मे नामातरण सं–324 दिनांक 7–3–2025 को दर्ज हो चुका है। वादाधीन कृषि भूमि आज भी सयुंक्त खाता मे दर्ज है। महेन्द्रसिंह की एक पुत्री छिन्द्रपालकौर का देहांत 12–13 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादाधीन कृषि भूमि मे वादी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थीया सं–3 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं–4 ता 7 की माता छिन्द्रपालकौर का 1/6 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं–1 ता 7 वादाधीन कृषि भूमि पर अपने–2 हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त इंतजाम करते चले आ रहे है।

4– यह कि उपरोक्त वादाधीन कृषि भूमि [illegible] खाता मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं–1 ता 7 के [illegible] मालकाना जमा करवाने को लेकर तथा बट, डोली को लेकर [illegible] है जिससे आपस मे विवाद बढता है। प्रार्थी विवाद व झगडे से बचने के लिए वादाधीन कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा कर[illegible] चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

5– यह कि प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण सं–1 ता 7 से निवेदन किया कि वादाधीन कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे होने के कारण अक्सर विवाद पैदा

–3पर

दरबारासिंह

हो जाता है इसलिए स्थाई समाधान हेतु वादाधीन कृषि भूमि का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुऐ किस्म के अनुसार बंटवारा कर अपने-2 नाम से राजस्व रिकार्ड मे अपने-2 किला नम्बर दर्ज करवा लिऐ जाऐं लेकिन अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 हर बार बहानेबाजी कर टाल मटोल करते रहे। आखिरकार दिनांक 26-4-2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 से सम्पंर्क कर वादाधीन कृषि भूमि का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुऐ किस्म के अनुसार बंटवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 ने बंटवारा कराने मे सहयोग करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादाधीन कृषि भूमि का बंटवारा नही करवाऐगें तथा वह वादाधीन कृषि भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि को विशिष्ट किलाजात दर्शा कर शीघ्र ही रहन, बैय कर हस्तांतरित कर देगे।

6- यह कि अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि को विशिष्ट किलाजात दर्शा कर अन्यत्र रहन, बैय कर हस्तांतरित करने के प्रयासरत है जिसके संबंध मे अप्रार्थीगण ने दिनांक 26-4-2025 को प्रार्थी को स्पष्ट रूप से ऐलानिया धमकी भी दी है। जबकि अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार का सयुंक्त खाता की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर हर काश्तकार का बराबर हक होता है। अगर अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 अपने नापाक ईरादे मे कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण सं-1 ता 7 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है।

7- यह कि प्रार्थी का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पतिं का उपयोग उपभोग करे तथा अपनी सम्पतिं सबंधि अधिकारो की रक्षा करे। इसलिए प्रार्थी माननीय अदालत मे यह वाद प्रस्तुत कर रहा है।

8- यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है।

अतः प्र[illegible]श कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अ[illegible] को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया [illegible] तक वादाधीन कृषि भूमि वाके चक-11 बी[illegible]यनगर का नया खाता सं-67 पुराना खाता सं-59 का मुरब्बा नं-1[illegible]त्थर सं-211/411 का किला नं-1 ता 25 की 6.1980 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला पर प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने व रकबा के किसी भू-भाग को बंटवारा से पूर्व किसी भी प्रकार से रहन, बैय या अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

-4पर

किसी भी तरीके से हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनु रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे। अति कृपा होगी।

दिनांक

प्रार्थी

दरबारासिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं—3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

फार्म नं.– III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

दरबारा सिंह बनाम गुरदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

नम्बर......35......सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/......86......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
01.05.2025	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री साहिब बाघला ने वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। शकुन्तला आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र

ब–अदालत उपजिला कलेक्टर,
श्रीविजयनगर।

दरबारासिंह उम्र–70 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

–: वादी

बनाम्

1– गुरदीपसिंह उम्र–65 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

2– मोहनसिंह उम्र–63 वर्ष पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

3– कर्मजीतकौर उम्र–68 वर्ष पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी परमजीतसिंह जाति रामगढिया निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

4– लखवीरसिंह उम्र–35 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

5– जगसीरसिंह उम्र–33 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

6– सोनु उम्र–32 वर्ष माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी मोदनसिंह जाति रामगढिया निवासी गांव नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज0)

7– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

–: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा–53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

–2पर

श्रीमान जी,
निवेदन है कि -

(1) वाद पत्र २ सं० कोर्ट
फीस पर प्रस्तुत है

(2) न्यायालय के क्षेत्राधिकार
एवं आर्थिक सीमाधिकार से है
सीरीज द्वारा प्रस्तुत है

[signature]
01/8/25

800 [illegible]

Issue Notice

[signature] 01/8/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान् जी,

वाद पत्र वादी निम्न प्रकार है:–

1– यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण का स्थाई डाक पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक मे वर्णित है। वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के तहत दो प्रतियों मे मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2– यह कि कृषि भूमि वाके चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का नया खाता सं–67 पुराना खाता सं–59 का मुरब्बा नं–17 पत्थर सं–211/411 का किला नं–1 ता 25 की 6.1980 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादीगण सं–1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं–4 ता 7 की माता छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह के नाम से सयुंक्त खाता मे बतौर खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र मे आयंदा वादाधीन कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

3– यह कि वादी यहां यह स्पष्ट करता है कि वादाधीन कृषि भूमि पूर्व मे महेन्द्रसिंह पुत्र फुमनसिंह जाति रामगढिया निवासी चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर के नाम से दर्ज थी। महेन्द्रसिंह का दिनांक 8–1–2020 को देहांत हो चुका है। महेन्द्रसिंह के देहांत के बाद वादाधीन कृषि भूमि महेन्द्रसिंह की पत्नी सरजीतकौर, पुत्रो दरबारासिंह, गुरदीपसिंह व मोहनसिंह तथा पुत्रीयों कर्मजीतकौर व छिन्द्रपालकौर को बहिस्सा बराबर विरास्तन प्राप्त हुई। तत्पश्चात सरजीतकौर ने अपना हिस्सा अपने दोनो पुत्रो गुरदीपसिंह व मोहनसिंह के पक्ष मे बहिस्सा बराबर जरिए दस्तबरदारी दिनांक 27–2–2025 को हक त्याग कर दिया। जिसका नामातंरण राजस्व रिकार्ड मे नामातरण सं–324 दिनांक 7–3–2025 को दर्ज हो चुका है। वादाधीन कृषि भूमि आज भी सयुंक्त खाता मे दर्ज है। महेन्द्रसिंह की एक पुत्री छिन्द्रपालकौर का देहांत 12–13 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादाधीन कृषि भूमि मे वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं–1 वा 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीया सं–3 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं–4 ता 7 की माता छिन्द्रपालकौर का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 वादाधीन कृषि भूमि पर अपने–2 हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त इंतजाम करते चले आ रहे है।

4– यह कि उपरोक्त व[illegible] खाता मे दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण सं–1 ता [illegible] अक्सर मालकाना जमा करवाने को लेकर तथा बट[illegible] जाता है जिससे आपस मे विवाद बढता है। [illegible] से बचने के लिए वादाधीन कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा [illegible]वाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

5– यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 से निवेदन किया कि वादाधीन कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे होने के कारण अक्सर विवाद पैदा

–3पर

हो जाता है इसलिए स्थाई समाधान हेतु वादाधीन कृषि भूमि का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुऐ किस्म के अनुसार बंटवारा कर अपने–2 नाम से राजस्व रिकार्ड मे अपने–2 किला नम्बर दर्ज करवा लिऐ जाऐं लेकिन प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 हर बार बहानेबाजी कर टाल मटोल करते रहे। आखिरकार दिनांक 26–4–2025 को वादी ने प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 से सम्पंर्क कर वादाधीन कृषि भूमि का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुऐ किस्म के अनुसार बंटवारा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 ने बंटवारा कराने मे सहयोग करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादाधीन कृषि भूमि का बंटवारा नही करवाऐगें तथा वह वादाधीन कृषि भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि को विशिष्ट किलाजात दर्शा कर शीघ्र ही रहन, बैय कर हस्तांतरित कर देगे। इसी दिनांक से वादी को प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 के खिलाफ वाद कारण प्राप्त है।

6– यह कि प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि को विशिष्ट किलाजात दर्शा कर अन्यत्र रहन, बैय कर हस्तांतरित करने के प्रयासरत है जिसके संबंध मे प्रतिवादीगण ने दिनांक 26–4–2025 को वादी को स्पष्ट रूप से ऐलानिया धमकी भी दी है। जबकि प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार का सयुंक्त खाता की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर हर काश्तकार का बराबर हक होता है। अगर प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 अपने नापाक ईरादे मे कामयाब हो गऐ तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादी के विधिक अधिकारो का हनन होगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण सं–1 ता 7 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है।

7– यह कि वादी का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पतिं का उपयोग उपभोग करे तथा अपनी सम्पतिं सबंधि अधिकारो की रक्षा करे। इसलिए वादी माननीय अदालत मे यह वाद प्रस्तुत कर रहा है।

8– यह कि प्रतिवादी सं–8 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

9– यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

10–अनुतोष अतः वाद पत्र [illegible] पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

क– कि वादाधीन कृषि भूमि वाके चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का नया खाता

–4पर

सं–67 पुराना खाता सं–59 का मुरब्बा नं–17 पत्थर सं–211/411 का किला नं–1 ता 25 की 6.1980 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुऐ किस्म के अनुसार बंटवारा करते हुऐ वादी का हिस्सा वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाने बाबत प्रतिवादी सं–8 तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जावे।

ख– कि प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वह वादाधीन कृषि भूमि वाके चक–11 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का नया खाता सं–67 पुराना खाता सं–59 का मुरब्बा नं–17 पत्थर सं–211/411 का किला नं–1 ता 25 की 6.1980 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला पर वादी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने व रकबा के किसी भू–भाग को बंटवारा से पूर्व किसी भी प्रकार से रहन, बैय या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनु रहे।

ग– कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाया जावे।

अति कृपा होगी। दिनांक

वादी

दरबारासिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं–3, 8 एलएलजी (लालगढ जाटान) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

<u>ईबारत तस्दीक</u>

मैं वादी सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र की मद संख्या 1 ता 9 एवं अनुतोष की मद सं–10 [illegible] व मद संख्या क ता ग में वर्णित सभी तथ्यों को अपनी निजी जानकारी एवं रिकार्ड के आधार पर सही एवं सच सच दर्ज करवाया है।

लिहाजा यह ईबारत आज रोज बमुकाम श्रीविजयनगर में तहरीर होकर तस्दीक हुई।

दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: Self Attested

आदेश — पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी (O, R.. c/c) अनुपस्थित। आवेदन लगाये गये/उपस्थित नहीं है। लिहाजा प्रकरण पर कोई अपनी अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज ... पर खारिज किया जाता है। ... में पारित न्या. निर्णय 218 ... खारिज किया जाता है। पत्रावली ... में शामिल होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested